



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्या : ए-49 / 12 / 3 / 2010-रा.भा.

दिनांक : 18 जुलाई, 2012

सेवा में,

संबंधित क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक / चिकित्सा अधीक्षक,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / प्रभागीय कार्यालय / अस्पताल,
संबंधित वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त / राज्य चिकित्सा आयुक्त / संकाय अध्यक्ष (डीन),
राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय / स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,

विषय : निगम के आशुलिपिक संवर्ग ('ग' क्षेत्र कार्यालय) के लिए हिंदी कार्यशाला ।
Sub : Hindi Workshop for Stenographer cadre ('C' region office) of the Corporation.

महोदय / Sir,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03 और 05 जुलाई, 2012 को कृपया देखें।

ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ कार्यालय प्रमुख अपने साथ सम्बद्ध निजी सचिव / वैयक्तिक सहायक को उक्त हिंदी कार्यशाला में न भेजकर किसी अन्य आशुलिपिक को भेज रहे हैं। ऐसा करना मुख्यालय के उपर्युक्त पत्र की अंतर्वस्तु के विपरीत है।

यह ध्यान रखा जाए कि उपर्युक्त कार्यशाला केवल ऐसे निजी सचिव / वैयक्तिक सहायक के लिए है जो वर्तमान में अपने कार्यालय प्रमुख के साथ सम्बद्ध हैं इसलिए केवल उसी एक कर्मचारी को उक्त कार्यशाला हेतु नामित किया जाय, अन्य किसी आशुलिपिक को कदापि नहीं।

यह पत्र बीमा आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Please refer to the even no. letter of the Hqrs. dated 3 & 5 July, 2012 on the subject cited above.

It has come to the notice that some office heads are nominating the Stenographers other than the P.A./P.S. attached to them for the said Hindi Workshop. It is against the contents of the above cited letter.

It should be kept in mind that above Workshop has been arranged only for the Stenographers/P.A./P.S. presently attached to their office heads. Hence, only the same one employee should be nominated for the Workshop, not any other Stenographer.

This issues with the approval of the Insurance Commissioner.

भवदीय,

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(रा.भा.)